

अंजनी कुमार सिंह, भा०प्र०स०  
मुख्य सचिव

Anjani Kumar Singh, I.A.S.

Chief Secretary



बिहार सरकार  
मुख्य सचिवालय, पटना - 800 015

GOVERNMENT OF BIHAR  
Main Secretariat, Patna - 800 015  
Tel. No. : 0612-2215804 (O), Fax : 0612-2217085  
E-mail : anjani41@yahoo.com

पत्र संख्या—18/प्र०सु०मि०—04—04/2015 सा०प्र०— २४३८/

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव

सभी विभाग

पुलिस महानिदेशक

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी विभागाध्यक्ष

सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक— १२-२-१५

विषय : सचिवालय और क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था को चुरस्त दुरुस्त करने के लिए सामान्य प्रशासनिक अनुदेश ।

महाशय,

सचिवालय और क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक विभिन्न उपायों पर माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में लिए गए निर्णयों के आलोक में निम्नलिखित अनुदेश दिए जाते हैं :—

- (i) सचिवालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यालय प्रधान कार्य दिवस प्रारंभ होते ही स्वयं नियत समय पर कार्यालय पहुँचें और अधीनस्थों के द्वारा भी कार्यालय पहुँचने के समय का पालन सुनिश्चित कराएँ । इस प्रसंग में सभी वरीय अधिकारियों को अपने आचरण से अनुशासन और समय के पालन का उदाहरण पेश करना चाहिए ।
- (ii) प्रखण्डस्तरीय सभी कार्यालयों (थाना सहित) में पदस्थापित कार्यालय प्रधान स्तर के अधिकारियों की समय—समय पर सुबह कार्यालय अवधि प्रारंभ होते ही जिला कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रैंसिंग के द्वारा प्रखण्ड मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज कराई जाए और अनुपस्थित पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए । यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रखण्ड स्तरीय कार्यालय प्रधान अपने अधीनस्थों की भी समय पर कार्यालय में उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित करें ।
- (iii) अनुमण्डल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सहित सभी प्रखण्ड, अनुमण्डल एवं जिला स्तरीय अधिकारी अपने मुख्यालय में अवश्य

: 2 :

निवास करें और इस बात की समय समय पर जाँच भी की जाए। प्रत्येक अधिकारी के लिए अनिवार्य किया जाए कि वे अपना स्थानीय पता कार्यालय प्रधान की जानकारी के लिए उन्हें संसूचित करें ताकि कार्यालय अवधि के बाद भी आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आकस्मिक कार्य हेतु बुलाया जा सके।

- (iv) जिला/अनुमण्डल स्तर पर प्रखण्ड स्तरीय अधिकारियों की बैठकें कम से कम आयोजित की जाएँ क्योंकि ऐसी बैठकों में जाने पर वे अधिकारी अपने मुख्यालय से अनुपस्थित हो जाते हैं और आवश्यक कार्य हेतु आने वाली जनता को बहुत कठिनाई होती है। प्रखण्डस्तरीय अधिकारियों की जिला स्तरीय बैठकें यथासंभव विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही आयोजित की जाएँ। बेल्ट्रॉन के द्वारा प्रखण्ड कार्यालयों में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्रवाई की जा रही है और उन्हें निदेश दिया गया है कि वे इस परियोजना को शीघ्र पूरी तरह से कार्यान्वित कर दें।
- (v) जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला स्तरीय पदाधिकारी (पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त आदि) प्रत्येक सप्ताह किसी एक दिन क्षेत्र में जनता दरबार लगाकर जन-समस्याओं को सुनें और उनका निराकरण करें। उसी क्रम में उनके द्वारा माह में एक बार उसी स्थान पर रात्रि विश्राम भी किया जाए।
- (vi) प्रमण्डलीय आयुक्त भी नियमित ढंग से समाहरणालय एवं अन्य जिलास्तरीय कार्यालयों का निरीक्षण करें एवं महीने में कम से कम दो बार अपने मुख्यालय से बाहर किसी स्थान पर रात्रि विश्राम कर सरकारी कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण एवं जन समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करें।
- (vii) प्रत्येक सप्ताह बुधवार को जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में सभी प्रमुख विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी क्षेत्र में जाकर सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का निरीक्षण तथा अनुवर्ती कार्रवाई करें ताकि कार्यक्रमों का पूरा लाभ लक्ष्य समूह को मिल सके और योजनाएँ समय पर पूर्ण हो। इस दिन जिलाधिकारी वरीय उप समाहर्ताओं के नेतृत्व में जाँच दल गठित कर, तटस्थ जाँच करावें।
- (viii) ऐसा देखा जा रहा है कि महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कार्यालयों का बहुत दिनों तक विधिवत् निरीक्षण नहीं किया गया है जिससे कि कार्यों में शिथिलता और वित्तीय गड़बड़ी की संभावना बढ़ गई है। अतः निदेश दिया जाता है कि अभियान चलाकर सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण अगले तीन महीने के अंदर पूर्ण कर लिया जाए और निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अनुवर्ती आवश्यक कार्रवाई कर लेखा सहित सभी कार्यालय अभिलेखों को अद्यतन करने तथा अनियमितताओं को दूर करने का कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण कर लिया जाए।

: 3 :

- (ix) लोक संवेदना अभियान के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अभियान को तीव्रता दी जाए। अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का कार्य शत-प्रतिशत् पूर्ण किया जाए। प्रखण्ड स्तर तक के कार्यालयों में आवश्यक कार्य से आने वालों के लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय आदि का प्रबंध किया जाए। आवश्यकतानुसार इन कार्यों के लिए निधि की व्यवस्था संबंधित विभागों के द्वारा करते हुए आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जाए।
- (x) जिला से प्रखण्ड स्तर तक के कार्यालयों में सी०सी०टी०भी० लगाने की व्यवस्था की जाए ताकि कर्मचारियों के आवागमन तथा अन्य गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके।
2. इसी क्रम में पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए अन्य आवश्यक उपायों के साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी कार्रवाई की जाए :—
- (i) पुलिस मुख्यालय के द्वारा पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में जिला स्तर तक के पुलिस पदाधिकारियों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा प्रत्येक पखबाड़े में की जाए। इस समीक्षा में विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण सहित सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को सम्मिलित किया जाए।
  - (ii) पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के पदाधिकारियों को नियमित रूप से जिलों में भेजकर पुलिस के कार्यों की समीक्षा कराई जाए और समीक्षा के क्रम में पाई गई त्रुटियों का निराकरण उन्हीं अधिकारियों के द्वारा अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जाए।
  - (iii) सभी जिला के पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ थानों का नियमित निरीक्षण करें और थानों में लोक संवेदना अभियान के अंतर्गत आवश्यक व्यवस्था करना भी सुनिश्चित करें।
3. यह भी निदेश दिया गया कि उपर्युक्त कंडिकाओं में निहित महत्वपूर्ण बिन्दुओं का समुचित प्रचार-प्रसार जन साधारण के लिए किया जाय एवं इसमें सरकारी सेवक की शिथिलता पायी जाए तो विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाए।
4. उपर्युक्त बिन्दुओं पर की गई कार्रवाई की नियमित समीक्षा अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर की जाएगी। अतः निदेश दिया जाता है कि सभी बिन्दुओं पर गहन अनुपालन समयबद्ध ढंग से किया जाए।

विश्वासभाजन,  
  
(अंजनी कुमार सिंह)

मुख्य सचिव, बिहार